न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– ईजराय प्रकरण संख्या :– 60/2018

हनुमान बनाम महावीर

प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिंहाग अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता — अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.06.2019

प्रार्थी हनुमान पुत्र श्री भूराराम जाति कुम्हार उम्र 52 साल निवासी गांव साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी इजराय पत्रावली संख्या 60/2018 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपी संख्या 100/2018 राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 29.10.2018 को निस्तारित कर पुनः इस न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गई है। जिसे पुनः पेशी में लिया जाना न्यायहित में आवशयक है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय अपील संख्या 100/2018 दिनांक 29.10.2018 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेशानुसार "अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि इजराय प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में दोनों पक्षों को सुनकर विधि अनुसार स्पीकिंग आदेश पारित किया जावे।" माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय का सहसम्मान अवलोकन किया जाकर पत्रावली को बाजवा नम्बर पर दर्ज किया गया। प्रार्थी हनुमान व अप्रार्थी महावीर को सुना गया। प्रार्थी हनुमान द्वारा जरिए अधिवक्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निगरानी/टी.ए./संख्या 8102/2018/श्रीगंगानगर दिनांक 06.12.2018 के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें अप्रार्थी महावीर द्वारा प्रस्तुत निगरानी विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर सारहीन होने से खारिज की गई है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की गई है। अप्रार्थी महवीर द्वारा दिनांक 27.05.2019 को अपनी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

कथनानुसार अनुसार उपरोक्त अनवानी इजराय प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व अपील अधिकारी से रिमाण्ड होकर पुनः सुनवायी हेतु प्राप्त हुआ है। जिसमें आज की तारीख पेशी निश्चित है। इजराय प्रार्थना पत्र में श्रीमान् न्यायालय द्वारा जारी की गई मूल डिक्री का निष्पादन हो चुका है। चूंकि प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान व कब्जे का परिदान के सम्बन्ध मे मूल दाववा में कोई अनुतोष नहीं मांगा गया था अब मूल डिक्री से बाहर जाकर इजराय प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं किया जा सकता। अब वह इस प्रार्थना पत्र के जरिये कब्जा पाना चाहता है जो कि कानूनन संभव नहीं है। चूंमि सीमा ज्ञान के लिए राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 88 में प्रावधान नहीं हे। भू–राजस्व अधिनियम में प्रावधान है इस कारण यह इजराय प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। मुझ अप्रार्थी द्वारा श्रीमान् अदालत में एक अन्य दावा अनवान महावीर बनाम हनुमान मुकदमा नं. 54/2018 जो चक 2 डी छोटी मुरब्बा नम्बर 14 के किला नं. 5 से सम्बन्धित है जिस पर मुझ अप्रार्थी का कब्जा काश्त है इस बारे में प्रकरण विचाराधीन है तथा इसी रकबा को प्रार्थी प्राप्त करना चाहता है। इस कारण प्रकरण विचाराधीन रहते हुए इजराय की कार्यवाही नहीं चल सकती। उक्त इजराय की मूल पत्रावली मंगवायी जाकर इस प्रार्थना पत्र के संलग्न की जावे ताकि वस्तुस्थिति श्रीमान् अदालत को जानकार हो सके व विवाद की तह तक श्रीमान् अदालत पहुंच सके। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का इजराय प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुयोग्य विद्वान अधिवक्तागण की हस्तगत ईजराय प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूल वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस सुनी गई एवम् पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र एवं दोराने बहस इस न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य दावा अनवान महावीर बनाम हनुमान मुकदमा नं. 54/2018 का उल्लेख किया गया एवं हस्तगत प्रकरण अन्य विचाराधीन प्रकरण महावीर बनाम हनुमान मुकदमा नं. 54/2018 के साथ विचाराधीन रखे जाने का निवेदन किया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 में पारित निर्णय की डिक्री द्वारा दोनों पक्षकारों के बीच भूमि का विभाजन किया जाकर इन्तकाल दर्ज किया चुका है। उक्त विचाराधीन प्रकरण का अवलोकन दौराने बहस किया गया। विचाराधीन प्रकरण एवं हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व अनुतोष भिन्न है।

हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 में परित निर्णय की डिक्री अनुसार चक 2 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नंबर 4(0.253 हैक.), 5(0.228 हैक.), 6/1(0.032 हैक.), 7/1(0.041 हैक.) कुल 4 रकबा 0.554 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला का सीमा ज्ञान प्रार्थी

को करवाया जाना मुख्य अनुतोष रहा है, जिसे प्रार्थी को प्रदान किया जाना न्यायोचित पाया गया।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर चक 2 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नंबर 4(0.253 हैक.), 5(0.228 हैक.), 6/1(0.032 हैक.), 7/1(0.041 हैक.) कुल 4 रकबा 0.554 हैक्टर नहरी भूमि मय खाला का प्रार्थी को सीमा ज्ञान करवाया जाकर प्रार्थी को भूमि का कब्जा सुपुर्द करवाये।

आदेश दिनांक 10.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर